कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री मनीष इन्टर प्राइजेज, जी0 एफ0, 49, देविका चैम्बर, आर0 डी0 सी0, राजनगर, गाजियाबाद।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**300 / 08**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-300 / 08, दिनांक 16.6.08 प्रस्तुत किया गया जिसके माध्यम से उनके द्वारा ऐक्सल (Axles) पर कर की दर जाननी चाही है ?

2. व्यापारी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में यह उल्लिखित किया है कि मोटर पार्ट्स पर अवर्गीकृत की भाँति 12.5% की दर से करदेयता है, परन्तु मोटर कार में प्रयुक्त होने वाला एक पार्ट Axles केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-14 के अन्तर्गत आयरन एण्ड स्टील के अन्तर्गत घोषित माल के रूप में वर्गीकृत है। अत: इस पर 12.5% की दर स करदेयता होगी या 4% की दर से करदेयता होगी।

3. दिनांक 20.8.09 को व्यापारी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार उनके द्वारा यह सूचित किया गया कि वह उपस्थित होने में असमर्थ हैं तथा उनके प्रार्थना-पत्र का निस्तारण पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखें के अनुसार कर दिया जाय।

4. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। पाया गया कि केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-14 (IV) (XIV) के अन्तर्गत Iron and Steel के अन्तर्गत क्रमांक-(XIV) पर "Axle" को सम्मिलित किया गया है। अत: उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-140 के अन्तर्गत Axles केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-14 के अन्तर्गत घोषित वस्तु होने के कारण Axles पर 4% की दर से करदेयता होगी।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 9, दिसम्बर, 2009

ह0 /- 9.12.09

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सत्यापित प्रतिलिपि